

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

यात्रा अग्रिम के लिए आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम
2. पद का नाम
3. स्थाई क्रमांक
4. मूल वेतन
5. क्या वेतन महालेखाकार प्रथम के कार्यालय से
आहरित किया जा रहा है।
6. यात्रा पर जाने स्थान
7. अनुमोदित यात्रा कार्यक्रम
8. प्रस्थान का दिनांक
9. यात्रा की अग्रिम राशि विवरण
- (1) किराया
- (2) दैनिक भत्ता
- (3) कुल योग
10. मांगी गई अग्रिम की राशि
11. क्या इससे पूर्व कोई यात्रा अग्रिम लिया है यदि
हां तो इस बावत यात्रा दावा प्रस्तुत किया गया
है

वचन पत्र

मैं वचन देता हूं कि यात्रा समाप्ति के 15 दिन के अंदर नियमानुसार यात्रा दावा प्रस्तुत कर दूंगा तथा शेष राशि तुरंत जमा करूंगा यदि मैं निर्धारित अवधि में यात्रा दावा प्रस्तुत नहीं कर सका तथा राशि जमा नहीं कर सका तो सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 17(2) के अनुसार मुझसे दण्ड सहित ब्याज की वसूली कर ली जावे।

प्रशासन-तीन अनुभाग को प्रेषित।

आवेदक के हस्ताक्षर

लेखा अधिकारी